30.04.2025

कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

कमांक–27/F-33/S.W/2025 देवास दिनांक– 29.04.2025

मैं, अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(7), 8(8), 214, 422(2) के अंतर्गत प्रदत्त (Conferred) शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, इस निमित्त प्रवृत्त पूर्ववर्ती समस्त आदेशों को अतिष्ठित (Superseded) करते हुए सिविल जिला, देवास एवं सत्र खण्ड देवास में निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ। यह कार्य विभाजन आदेश **दिनांक-29.04.2025** से प्रभावशील होगा :–

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों की प्रकृति
01	02.	03.	04.
01.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (श्री अजय प्रकाश मिश्र)**	सिविल जिला देवास	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 10,00,00,000/– (दस करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर) 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. जिला मुख्यालय, देवास पर कार्यरत समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड, तहसील न्यायालय टोंकखुर्द में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायालय, देवास तथा कालान्तर में उक्त न्यायालयों में स्थानांतरण पर पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों के विरूद्ध सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, अंतर्गत चुनाव याचिकाएं (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर) 5. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **औद्योगिक क्षेत्र, देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 6. तहसील–टोंकखुर्द की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत,कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम,1984(1984 का 66) की धारा 07 के अधीन, वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां। **(अधिसूचना अनुसार)** 7. हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत

			अपीलें। 8. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी देवास के आदेश से उद्भूत अपीलें। 9. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उद्भूत अपीलें। 10. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील देवास एवं टोंकखुर्द) 11. धारा 307 नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त व्यवहार वाद। 12. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 2018 का 18) की धारा 20(ख) के अंतर्गत सिविल जिला, देवास में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, (म.प्र. शासन की अधिसूचना कं. 4779/2022/इक्कीस/ब/(एक) 2022 दिनांक 23.12.2022 अनुसार) 13. समस्त व्यवहार वाद, आवेदन, याचिकाएं, अपील एवं कार्यवाहियां जो तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत होती हैं व जो संज्ञान हेतु अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं।
		सत्र खण्ड, देवास	14. अनन्य रूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत समस्त आवेदन एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरण। 15. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 16. सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1993 से उद्भूत प्रकरण। 17. किशोर न्याय बोर्ड, देवास द्वारा पारित आदेश से उद्भूत अपीलें। 18. सत्र खण्ड देवास के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त सहित देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्भूत होने वाले समस्त जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एस.सी./एस.टी. एक्ट, एन.डी.पी.एस.एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अतिरिक्त) एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण यांचिकाएं। 19. सत्र खण्ड देवास की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे अन्य आपराधिक प्रकरण, जिनके संबंध में किसी अन्य अपर सत्र न्यायाधीश को प्राधिकृत नहीं किया गया है।
02.	**विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (सुश्री सुमन श्रीवास्तव)**	**सत्र खण्ड, देवास**	1. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विशेष प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्रों सहित।

			2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरण, व्यवहार अपीलें, सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य समस्त प्रकरण।
03.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) (श्री आदेश कुमार जैन)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्‌भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **बैंक नोट प्रेस, देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड देवास	4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण। **(अधिसूचना अनुसार)** 5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विचारण हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
04.	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT) देवास (श्री उत्तम कुमार डार्वी)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड देवास	2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत तथा जिन मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी अपराध दर्ज हो, ऐसे मामलों में प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। **(अधिसूचना अनुसार)** 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
05	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास (डॉ. श्री रविकान्त सोलंकी)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्‌भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

			3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **नाहर दरवाजा, देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड देवास	4. आरक्षी केन्द्र, देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्‌भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां **(अधिसूचना अनुसार)** 5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
06	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास (श्री विकास शर्मा)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्‌भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भू–अर्जन अधिनियम,1894 अंतर्गत प्रकरण। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम,1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन)
		सत्र खण्ड देवास	6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
07	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास. (श्री उमाशंकर अग्रवाल)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. **1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक किन्तु 3,00,00,000/– (तीन करोड़)** रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रोबेट प्रकरण। 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **सिविल लाईन, देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं

			विविध कार्यवाहियां। 4. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 5. हिन्दू, अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 6. स्वयं के न्यायालय से उद्‌भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	8. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (2019–का 21) के सिविल जिला, देवास अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 9. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अंतर्गत उद्‌भूत अपीलें (ग्राम न्यायाधिकारी, देवास) 10. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
08.	**तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास एवं विशेष न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.एक्ट) (श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार)**	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. **3,00,00,000/– (तीन करोड़) से अधिक किन्तु 10,00,00,000/– (दस करोड़) तक** हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **विजयागंज मण्डी, जिला–देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 5. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. स्वयं के न्यायालय से उद्‌भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. जिला मुख्यालय देवास पर पूर्व में कार्यरत रहे

			अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं तथा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पारित आदेश प्राप्त होने पर उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण, आवेदन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 9. मुख्यालय देवास पर अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के रिक्त होने पर उनके द्वारा पारित निर्णय/आज्ञप्ति एवं अधिनिर्णयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां आदि प्राप्त कर उनका विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	11. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. एक्ट) के प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र व अन्य आवेदन आदि। **(अधिसूचना अनुसार)** 12. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
09.	**चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (श्री प्रसन्न सिंह बहरावत)**	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **सिटी कोतवाली, देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	4. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। **(अधिसूचना अनुसार)** 5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं प्रकरण।

10.	**पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (श्री अभिषेक गौड़)**	तहसील देवास एवं **तहसील टोंकखुर्द**	1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप **बरोठा व टोंकखुर्द जिला देवास** के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	4. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रकरण एवं तत्सम्बंधी जमानत आवेदन पत्र व निराकृत विद्युत प्रकरणों से सम्बंधित उत्पन्न होने वाली समस्त विविध कार्यवाहियां।**(अधिसूचना अनुसार)** 5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
11.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ (श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान)**	तहसील सोनकच्छ	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। **2.** स्वयं के न्यायालय एवं पूर्व से रिक्त प्रथम जिला न्यायाधीश सोनकच्छ के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। **3.** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। **4.** मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। **5.** मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में **(आरक्षी केन्द्र सोनकच्छ व पीपलरांवा** उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। **6.** प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। **7.** मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण।

			8. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 9. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 10. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) **11.** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील सोनकच्छ **सत्र खण्ड सोनकच्छ**	12. सिविल न्यायालय सोनकच्छ के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **(व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)** न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 13. तहसील सोनकच्छ के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र **सोनकच्छ व आबकारी वृत्त सोनकच्छ** से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 14. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
12.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003 (श्री राकेश जमरा)**	तहसील सोनकच्छ	1. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में **(आरक्षी केन्द्र भौंरासा)** उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे

			निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 6ण मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/— रूपये से अधिक एवं 1000/— रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 9. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण—पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 10. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 11. प्रोबेट प्रकरण। 12. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 13. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		तहसील सोनकच्छ **सत्र खण्ड** **सोनकच्छ**	14. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां। **(अधिसूचना अनुसार)** 15. सिविल न्यायालय सोनकच्छ के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **(व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)** न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 16. तहसील सोनकच्छ के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र भौंरासा व पीपलरांवा एवं आबकारी वृत्त भौंरासा व पीपलरांवा** से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 17. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। 18. सत्र खण्ड, सोनकच्छ की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां **(शासन की अधिसूचना अनुसार)**

			19. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां व अन्य प्रकरण
13.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश, Exclusive POCSO Court बागली (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल)**	तहसील हाटपिपल्या, बागली एवं उदयनगर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर **(सत्र खण्ड बागली)**	2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। **(अधिसूचना अनुसार)** 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
14.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम,2003) (श्री सुखराम सीनम)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड बागली एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, बागली द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर के क्षेत्राधिकार **(समस्त आरक्षी केन्द्र)** में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

			9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 13. प्रोबेट प्रकरण। 14. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 15. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 16. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 17. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 18. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 19. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 20. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर **(सत्र खण्ड बागली)**	22. विद्युत अधिनियम 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां। **(अधिसूचना अनुसार)** 23. सिविल न्यायालय बागली के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 24. तहसील बागली के क्षेत्राधिकार अंतर्गत **समस्त आरक्षी केन्द्र बागली एवं समस्त आबकारी वृत्त बागली** से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। **25.** सत्र खण्ड, बागली की अधिकारिता से उद्भूत

			निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां **(अधिसूचना अनुसार)** 26. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
15.	**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद एवं विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003)** **(श्री दारासिंह मण्डलोई)**	तहसील कन्नौद एवं सतवास	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कन्नौद द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील कन्नौद के क्षेत्राधिकार **(समस्त आरक्षी केन्द्र)** में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 9. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के समस्त प्रकरण। 13. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण।

			14. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 15. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 16. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 17. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील कन्नौद एवं सतवास **(सत्र खण्ड कन्नौद)**	18. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां **(अधिसूचना अनुसार)** 19. सिविल न्यायालय कन्नौद के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **(व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)** न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 20. तहसील कन्नौद के अंतर्गत **समस्त आरक्षी केन्द्र कन्नौद व समस्त आबकारी वृत्त कन्नौद** से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 21. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। **22.** सत्र खण्ड, कन्नौद की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 23. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
16.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद (श्री अमित निगम)**	तहसील कन्नौद एवं सतवास	1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील सतवास के क्षेत्राधिकार **(समस्त आरक्षी केन्द्र)** में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/ कनिष्ठ खण्ड कन्नौद, तथा पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद के रिक्त

			न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 4. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 5. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 6. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 7. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			9. तहसील सतवास के अंतर्गत **समस्त आरक्षी केन्द्र एवं समस्त आबकारी वृत्त तहसील सतवास** से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस. सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 10. सिविल न्यायालय कन्नौद के वर्तमान एवं रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **(व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड)** न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 11. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
17.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (श्रीमती सीता कनोजे)**	तहसील खातेगांव	1. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 2. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 3. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खातेगांव एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं

			विविध सिविल अपीलें। 4. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 6. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 7प हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 8. प्रोबेट प्रकरण। 9प भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 11. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 12. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 13. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 14. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 15. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 16. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील खातेगांव **(सत्र खण्ड, खातेगांव)**	17. सत्र खण्ड, खातेगांव की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां।**(अधिसूचना अनुसार)** 18. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
18.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम,2003) (श्री विवेक शिवहरे)**	तहसील खातेगांव	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–166 (2) की उपधारा (1) में उपबंधित प्रावधानों के अनुरूप तहसील खातेगांव के क्षेत्राधिकार **(समस्त आरक्षी केन्द्र)** में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

			3. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव द्वारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 8. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील खातेगांव **(सत्र खण्ड, खातेगांव)**	10. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचनानुसार) 11. तहसील खातेगांव पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 12. तहसील खातेगांव के अंतर्गत **समस्त आरक्षी केन्द्र खातेगांव व समस्त आबकारी वृत्त खातेगांव** से उद्भूत धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन एवं उपरोक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण याचिकाएं। 13. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। 14. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।

19.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्री भारत सिंह कनेल)**	तहसील देवास	1. भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा 450 के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। (सत्र खण्ड देवास) 2. ग्राम पंचायतों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपीलें।(सत्र खण्ड देवास) 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
19. (A)	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	**तहसील देवास**	————
20.	**प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड देवास (सुश्री अंजना यादव)**	**जिला देवास**	1. किशोर न्याय बोर्ड, देवास के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां।
21.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं न्यायाधिकारी,ग्राम न्यायालय, देवास (श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी)**	तहसील देवास	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (2009 का 4) तहसील देवास के अंतर्गत 25000/– रूपये की राशि तक के आर्थिक क्षैत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के निम्नानुसार मामलें जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :– **(i) सिविल विवादः** (क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, **(ii) संपत्ति विवादः** (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार **(iii) अन्य विवादः** (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ड़) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
22.	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री दीक्षा दोहरे)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 50,000,00/– (पचास लाख) तक हो

			तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र संबंधी प्रकरण। 4. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
23.	**पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (कुंवर श्री युवराज सिंह)**	तहसील देवास	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 50,00,000/– (पचास लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,000,00/– (एक करोड) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. लघुवाद रूपये 200/– से अधिक किन्तु 500/– रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 3. स्वंय के न्यायालय व प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवास एवं पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण जिसके लिए अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास के व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के क्षेत्रांतर्गत है। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
24.	**षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास(श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे)**	तहसील देवास	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
25.	**सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्री प्रियांशु पाण्डे)**	तहसील देवास	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
25. (A)	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	————
25. (B)	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	————
26.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती किरण सिंह)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. **समस्त मूल व्यवहार वाद** जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध

			कार्यवाहियां। **<u>(माह अप्रैल, मई एवं जून की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।)</u>** 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत सिविल जिला देवास अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रूपये 200/– मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, देवास के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
27.	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. **समस्त मूल व्यवहार वाद** जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। **<u>(माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।)</u>** 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
28.	**पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री चन्द्रा पंवार)**	तहसील–देवास	1. **समस्त मूल व्यवहार वाद** जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। **<u>(माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।)</u>** 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
28. (A)	**षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	————
28. (B)	**सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	————

	(रिक्त न्यायालय)		
28. (C)	**अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	————
29.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास (श्री सौरभ जैन)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. **समस्त मूल व्यवहार वाद** जिनका मूल्यांकन रू.5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। **(माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च की अवधि में प्रस्तुत होने वाले वादों के संबंध में।)** 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
30.	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय)**	तहसील टोंकखुर्द **(सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/–(पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/– (एक करोड़) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 5. लघु वाद मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 6. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
31.	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (सुश्री आयुषी श्रीवास्तव)**	तहसील टोंकखुर्द **(सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/–(पांच लाख) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित

			निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/– (दो सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 6. अन्य सभी सिविल प्रकरण,जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं।
32.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ (श्री दशरथ सिंह भीड़े)**	तहसील सोनकच्छ	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद,कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
33.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ (सुश्री निकिता पंवार)**	तहसील सोनकच्छ	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ एवं तहसील सोनकच्छ के अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो सोनकच्छ में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 5. लघु वाद मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 6. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
34.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ (श्रीमती परिधि गुप्ता)**	तहसील सोनकच्छ **(सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
34. (A)	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)**	तहसील सोनकच्छ **(सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)**	————

35.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ (श्री शुभम गुप्ता)**	तहसील सोनकच्छ **(सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख़) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय सोनकच्छ के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/– (दो सौ़) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
36.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, (श्रीमती बबीता प्रजापत)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर **(सिविल न्यायालय, बागली)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) से अधिक किन्तु रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील बागली के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो बागली में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 5. लघु वाद मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ़) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 6. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
36. (A)	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बागली (रिक्त न्यायालय)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	————
37.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे

	(सुश्री वीणा अग्निहोत्री)	उदयनगर **(सिविल न्यायालय, बागली)**	सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. तहसील मुख्यालय बागली पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
38.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (सुश्री आयुषी मालवीया)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
39.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद (सुश्री उषा उईके)**	तहसील कन्नौद, सतवास **(सिविल न्यायालय,कन्नौद)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) से अधिक किन्तु रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से व द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कन्नौद एवं ग्राम न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. लघु वाद 200/– रूपये (दो सौ) से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 6. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो कन्नौद में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 7. तहसील कन्नौद पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं वर्तमान के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) तहसील कन्नौद एवं सतवास के अंतर्गत 25000/– रूपये की राशि तक के आर्थिक क्षैत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के निम्नानुसार मामलें जो ग्राम

			न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :– **(i) सिविल विवादः** (क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, **(ii) संपत्ति विवादः** (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार **(iii) अन्य विवादः** (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ड़) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
40.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्रीमती सोनाली शर्मा)**	तहसील कन्नौद, सतवास	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
40. (A)	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (रिक्त न्यायालय)**	तहसील कन्नौद, सतवास **(सिविल न्यायालय, कन्नौद)**	————————
41.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (श्री कुंदन कछवाहे)**	तहसील कन्नौद एवं सतवास **(सिविल न्यायालय, कन्नौद)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 4. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय कन्नौद के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त एवं वर्तमान न्यायालय से संबंधित

			प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
41. (A)	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (रिक्त न्यायालय)**	तहसील खातेगांव	————
42.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्रीमती राधा उइके)**	तहसील खातेगांव **(सिविल न्यायालय, खातेगांव)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रू. 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) से अधिक किन्तु रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं। 5. तहसील न्यायालय खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
43.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव (तनिष्का वैष्णव)**	तहसील खातेगांव	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से अधिक किन्तु रू. 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 3. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 4. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 5. लघु वाद 500/– (पांच सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 7. तहसील मुख्यालय खातेगांव पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध

			कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।

मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा 15, 18, 19 व 21(4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत वेष्ठित शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए इस निमित्त पूर्व से प्रदत्त समस्त आदेशों का निवर्तन कर, जिले के न्यायाधीशगण के पद, अस्थाई रिक्त पद, सिविल जिला देवास में पदस्थ न्यायाधीशगण के अनुपस्थिति, मुख्यालय छोड़कर जिले के किसी भी स्थान पर जाने, अवकाशकाल, ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवधि में अन्यथा आदेश होने तक आवश्यक कार्यभार की निम्न कमानुसार व्यवस्था की जाती है–

	न्यायालय का नाम	**प्रभारी न्यायालय**	**प्रभारी न्यायालय की अनुपस्थिति में कमशः प्रभारी न्यायालय**
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989	प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय/तृतीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास
02.	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना कमांक सी/2264/III-6-3/90 दिनांक 14.09.2020 अनुसार)	मुख्यालय देवास के वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड, देवास पर उपलब्ध कमानुसार वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, देवास तथा इनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास
03.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरणों हेतु) एवं शेष अन्य प्रकरणों हेतु विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, देवास	तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय/चतुर्थ/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास
04.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम, तृतीय, पंचम, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के चतुर्थ/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
05.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास	तृतीय, द्वितीय, प्रथम, पंचम, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास

06.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय / द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
07.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय / तृतीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, तृतीय, प्रथम, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधि.
08.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास,	पंचम, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय / द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
8A	विशेष न्यायाधीश, एन.डी. पी.एस. एक्ट 1985 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार)	मुख्यालय देवास पर उपलब्ध वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड, देवास पर उपलब्ध क्रमानुसार वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश / सत्र न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जिला–देवास
09.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवास	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय, तृतीय, प्रथम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास,विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
10.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय / चतुर्थ / द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
10(A)	जिला मुख्यालय देवास (रिक्त न्यायालय) एवं ऐसे अन्य जिला एवं अपर सत्र न्यायालय जिनका परिवर्णन उपरोक्तानुसार नहीं किया गया है।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के चतुर्थ / तृतीय / द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास,विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
11	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ	तृतीय, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, पंचम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय / तृतीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास

12	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ	द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश देवास व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के चतुर्थ/तृतीय एवं द्वितीय अति. न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधि. देवास, प्रथम, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली, प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद
13	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली	प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, प्रथम अपर सत्र न्या. देवास के द्वितीय/चतुर्थ व तृतीय अति. न्या. देवास तथा विशेष न्या. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास एवं प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्या. कन्नौद एवं प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव
14	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय/द्वितीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास एवं द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद एवं प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव
15	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद	द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव, द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय/द्वितीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
16	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद	प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव, द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, प्रथम/द्वितीय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय/द्वितीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण)

			अधिनियम देवास
17	प्रथम जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश, खातेगांव	द्वितीय जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश, खातेगांव	प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद,द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली, द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय/द्वितीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश देवास
18	द्वितीय जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश, खातेगांव	प्रथम जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश, खातेगांव	द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद, द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली, द्वितीय/प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के तृतीय/द्वितीय तथा चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास द्वितीय, तृतीय, पंचम, चतुर्थ, प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश देवास
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, पंचम, षष्ठ्म, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
19(A)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ्म, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
20	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं ग्राम न्यायालय देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	पंचम, षष्ठ्म, सप्तम, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द एवं प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
21	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	तृतीय, प्रथम, चतुर्थ षष्ठ्म, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्या. के अति. न्यायाधीश सोनकच्छ

22	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	षष्ठ्म व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	सप्तम, प्रथम तृतीय, चतुर्थ, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
23	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	पंचम, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
24	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	षष्ठम्, चतुर्थ, प्रथम तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
24(A)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास **(रिक्त न्यायालय)**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
24(B)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास **(रिक्त न्यायालय)**	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
25	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास एवं प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
26	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास एवं पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
27	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम अति. व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास	तृतीय, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द

27(A)	षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
27(B)	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
27(C)	अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, पंचम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
28	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	चतुर्थ, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
29	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, एवं प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
30	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द	पंचम, तृतीय, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,सोनकच्छ
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ तथा चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम् तृतीय, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ तथा पंचम, चतुर्थ, षष्ठम्, सप्तम् तृतीय, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द

33	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ तथा सप्तम्, चतुर्थ, षष्ठम्, तृतीय, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुद खण्ड, टोंकखुर्द
33(A)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम्, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास
34	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ तथा चतुर्थ, तृतीय, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	षष्ठम्, पंचम, सप्तम्, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव
35(A)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	पंचम, षष्ठम्, सप्तम्, तृतीय, चतुर्थ एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली एवं चतुर्थ, तृतीय, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली एवं चतुर्थ, तृतीय, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवास तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद

38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगावं, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ,प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, पंचम, चतुर्थ, षष्ठम्, सप्तम्, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
39	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय / प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगावं, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, पंचम, षष्ठम्, चतुर्थ, सप्तम्, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
39(A)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास
40	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खातेगांव, द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास
40(A)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, चतुर्थ, पंचम,षष्ठम्, सप्तम्, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
41	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,

			सोनकच्छ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ, चतुर्थ, पंचम,षष्ठम्, सप्तम्, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
42	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली

<u>टिप्पणीः–</u>

1- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास के अवकाश पर होने अथवा उनकी अन्यत्र जिले में श्रृंखला न्यायालय होने के कार्य दिवसों में अत्यावश्यक प्रकृति एवं अन्य न्यायालयीन कार्य हेतु विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 उपरांत कमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश देवास व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास को प्राधिकृत किया जाता है।

2- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन कमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना कमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (**S.C./S.T. Act**) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय मुख्यालय, देवास पर उपलब्ध **वरिष्ठतम (Senior most)** अपर सत्र न्यायाधीश को कमानुवर्ती अनुकम में अधिकृत किया जाता है।

3- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन कमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना कमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (**N.D.P.S.Act**) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय मुख्यालय, देवास पर उपलब्ध **वरिष्ठतम (Senior most)** अपर सत्र न्यायाधीश को कमानुवर्ती अनुकम में अधिकृत किया जाता है।

4- सत्र न्यायाधीश देवास की अनुपस्थिति या अवकाशकाल में ऐसे प्रकरणों में जिन्हें सत्र न्यायालय को उपार्पित नहीं किया गया है या उन्हें किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित नहीं किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, वहां एक ही अपराध कमांक में प्रस्तुत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के पूर्व में निराकृत आवेदन पत्रों के पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन पत्र ऐसे न्यायाधीश या उनके उत्तरवर्ती न्यायाधीश (कमशः विशेष न्यायाधीश एस.सी./ एस.टी. एक्ट, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के चतुर्थ/द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास) द्वारा श्रवण एवं निराकृत किये जा सकेंगे,जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन–पत्र निराकृत किया गया है।

5- सत्र न्यायाधीश, देवास के दो दिवस या उससे अधिक लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने की स्थिति में **मुख्यालय पर प्रस्तुत होने वाले प्रथम जमानत आवेदन पत्र** अन्तर्गत धारा 482, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विधिवत् सुनवायी के लिए आगामी आदेश होने तक प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर, <u>हर माह के पूर्वार्द्ध में</u> (दिनांक 01 से 15 तक की अवधि में) सप्ताह के सोमवार व गुरूवार के दिन प्रथम

अपर सत्र न्यायाधीश, देवास व मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास तथा बुधवार एवं शनिवार के दिन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, तथा उसी माह के उत्तरार्द्ध में (दिनांक 16 से 31 तक या उस माह की अंतिम तिथि तक की अवधि में) सप्ताह के सोमवार व गुरूवार के दिन चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देवास व मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, देवास तथा बुधवार एवं शनिवार के दिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, जो सम्बंधित न्यायालय को विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतिरत समझे जायेंगे।

6- साथ ही सत्र न्यायाधीश, देवास के लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने के दौरान पूर्व में निराकृत आरोपी से संबंधित द्वितीय एवं अन्य जमानत आवेदन पत्र तथा एक ही अपराध कमांक में सह आरोपी द्वारा प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायाधीश द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जाऐंगे, जिसके द्वारा पूर्व में अन्य सह आरोपी के जमानत आवेदन पत्र का निराकृरण किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार, उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किये जाऐंगे, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती आवेदन पत्र निराकृत किये गये थे। ऐसे आवेदन पत्र विधिवत निराकृत हेतु संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश, देवास के समक्ष सीधे रखे जाऐंगे।

7- जिला मुख्यालय देवास पर किसी अपर सत्र न्यायाधीश के स्थानांतरण या अन्यथा परिस्थिति वश न्यायालय रिक्त होने के स्थिति में ऐसे रिक्त न्यायालयों के न्यायिक कार्य माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को **रिक्त न्यायालय** का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

8- बाह्यवर्ती न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (टोंकखुर्द, सोनकच्छ बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) के न्यायालयों द्वारा अनन्यरूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को सीधे संबंधित बाह्यवर्ती न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उपार्पित किया जाएगा किन्तु ऐसे प्रकरणों को मात्र सत्र पंजी में प्रविष्ट करने हेतु सत्र न्यायालय देवास भेजा जाएगा।

9- न्यायिक जिला देवास के ऐसे प्रकरण जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 (पॉक्सो एक्ट) के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1988 का भी अभियोग है, उनकी रिमांड कार्यवाही, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अभियोग पत्र संबंधी कार्यवाहियां सीधे, विशेष न्यायालय–**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) देवास** में प्रस्तुत की जाएगी।

10- जिले के समस्त तहसील न्यायालयों के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण सीधे प्रत्येक तहसील न्यायालय के संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, जो उन्हें प्राप्त कर, सत्र न्यायालय को अपील पुनरीक्षण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रेषित करेगा।

11- सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश देवास, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, व पंचम अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–8(8) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा सुनवाई कर निराकृत किए जाएंगे।

12- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली की श्रृंखला न्यायालय कन्नौद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक) कन्नौद जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं। इन

न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकरण एवं न्यायिक कार्य तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों हेतु प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद को रिक्त न्यायालयों का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत किये जाएंगे।

13- जिले में वर्तमान में पदस्थ जिला न्यायाधीश देवास के स्थानांतरण अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सिविल,अपील प्रकरण, विविध अपील एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियां उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा की जावेगी।

14- जिले में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के स्थानांतरण अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के सिविल प्रकरण एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियां उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा की जावेगी।

15- बाह्यवर्ती तहसील न्यायालयों में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीशगण के न्यायालयों में लंबित नियमित सुनवाई के सभी आपराधिक प्रकरणों को सम्बंधित अपर सत्र न्यायाधीश व उनके स्थानीय प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश (जहां एकाधिक अपर सत्र न्यायाधीश पदस्थ हों) की अनुपस्थिति में सम्बंधित स्थानीय तहसील न्यायालय में पदस्थ क्रमवर्ती वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, जो तत्समय उपलब्ध होंगे, वे प्रभारी न्यायाधीश के रूप में प्रकरणों की कार्यवाहियों को यथावत् आगामी तिथि तक बढ़ाए जाने हेतु अधिकृत रहेंगे।

16- सिविल जिला–देवास अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद सम्बंधी ऐसे प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रू. 3,00,000/–से अधिक हो, उनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार पदाभिहित(Designated) वाणिज्यिक न्यायालय, इन्दौर को होने से, उक्त सभी वाद आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगें।

17- मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सिविल जिला देवास में कार्यरत सभी व्यवहार न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश (Vacation) अथवा अन्य 5 दिवस से अधिक के दीर्घकालीन अवकाशों में अत्यावश्यक प्रकृति के व्यवहार प्रकरणों को प्राप्त कर,उनका नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में अत्यावश्यक कार्य हेतु क्रमानुसार व्यवस्था अंतर्गत प्राधिकृत जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला मुख्यालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालयों के मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक कार्यों (Urgent Work) को संपादित किया जाएगा।

18– सत्र खण्ड बागली में पदस्थ श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों की सुनवाई हेतु अनन्यतः विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया है, वे वर्तमान में दीर्घकालिन अवकाश पर है। उनके द्वारा अवकाश उपरांत पदभार ग्रहण करने पर अधिसूचना अनुसार पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों को उनके न्यायालय में स्वंयमेव अंतरित माने जावेंगे।

19– ग्राम न्यायालय कन्नौद की अधिसूचना प्राप्त होने पर एवं प्रथम व्य.न्या.कनिष्ठ खण्ड खातेगांव के पदभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त आदेश उक्त न्यायालयों के लिए प्रभावी होगा।

29/01/26

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक / 1566 / एस0डब्ल्यू0 / 2025 **देवास, दिनांक 29.04.25**

प्रतिलिपि–

01. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
02. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देवास,
03. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण अधिनियम) देवास,
04. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/ खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.)
05. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/ कन्नौद/खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.)
06. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास
07. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली /कन्नौद/खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.)
08. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

09. कलेक्टर, जिला–देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. पुलिस अधीक्षक, देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. समस्त थाना प्रभारीगण, पुलिस थाना, जिला–देवास (म.प्र.) (सम्पूर्ण) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित ।
12. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. केंद्रीय पंजीयन अनुभाग, देवास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. उपसंचालक, अभियोजन, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव जिला–देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

29/04/25

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)